

under Section 451-IPC was registered at P.S. Civil Lines vide F.I.R. No 322 dated 10th May 1977 in this connection.

A complaint was also lodged by the Chairman of the governing body of the College that he and some other members of the governing body had been wrongfully confined in the College premises on 10th May 1977, when they had gone there to attend a meeting of the governing body of the College. A case under Section 342-IPC was registered at P.S. Civil Lines in connection with this matter.

Both the cases mentioned above are under investigation.

कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के वाहनों का प्रयोग

446. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के वाहनों को किसी राजनैतिक दल के उपयोग हेतु दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस अधिकारी की अनुमति से इन वाहनों को दिया गया था तथा कितने वाहन कब-कब दिये गये थे ; और

(ग) इन वाहनों को भेजने के बदले में दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान को कितनी राशि प्राप्त हुई थी और यदि राशि प्राप्त नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) तथापि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने बताया है कि संस्थान के एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन—दिल्ली राज्य बिजली वर्क्स यूनियन को उसकी प्रार्थना पर कुछ अवसरों पर कुछ वाहन

इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी । इसके लिये संस्थान ने आवश्यक बिल बनाये थे ।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के
कर्मचारियों के वेतन-मानों का
पुनरीक्षण

447. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय-संस्थान में कर्मचारियों के वेतनमान वर्ष 1971 से पुनरीक्षित करने के बारे में निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या उनके वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने के बावजूद उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं दी गई है ; और

(ग) बकाया राशि देने के संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह राशि कब तक दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :
(क) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के प्रबंधकों ने 1973 में (i) 1-4-1971 से इंजीनियरों के और (ii) 1-4-1972 से तकनीकी सुपरवाइजरों और कर्मचारियों (वर्कमैन) समेत अन्य कर्मचारियों के वेतन-मानों में संशोधन करने के निर्णय लिये थे ।

(ख) इंजीनियरों को सितम्बर, 1973 से और अन्य कर्मचारियों को अक्टूबर, 1973 से संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया गया है । इंजीनियरों को 1-4-1971 से अगस्त, 1973 तक का और अन्य कर्मचारी वर्ग को 1-4-1972 से सितम्बर, 1973 तक की अवधि की वेतन आदि की बकाया राशि अभी दी जानी है ।